प्रेषक,

मुकेश यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महराजगंज।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश
महराजगंज।

विषय- समयपूर्व जनपद महराजगंज से उ०प्र० राज्य के किसी भी अन्य जनपद में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

आदरणीय महोदय,

विनम्रतापूर्वक सादर निवेदन है कि प्रार्थी जनपद महराजगंज में बतौर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यरत है। प्रार्थी द्वारा बतौर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा, लगन व ईमानदारीपूर्वक सम्पादित किया जाता है। जनपद महराजगंज में स्थित सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण जबरन अनुचित दबाव बनाने में असफल रहने पर झूठे शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के न्यायालय का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उनका एक मात्र उद्देश्य न्यायालय पर अनुचित दबाव बनाकर मानसिक रुप से प्रताड़ित करना है, उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु बार के पदाधिकारीगण द्वारा दिनांक 26.07.2024 को मेरे न्यायालय का कार्य बहिष्कार किया गया तथा जब प्रार्थी ने उनके दबाव में कार्य करने से स्पष्ट रुप से मना कर दिया, तब धारा-175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो एक अधिवक्ता के विरुद्ध योजित की गयी थी के दर्ज रजिस्टर किये जाने पर पुनः दबाव बनाने के लिए कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तथा उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि कैसे एक अधिवक्ता के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दर्ज कर ली गयी। बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण द्वारा किये जा रहे कार्य बहिष्कार से प्रार्थी अत्यन्त असहज स्थिति में है तथा कार्य बहिष्कार द्वारा मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो प्रार्थी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

अतः विनम्रतापूर्वक सादर निवेदन है कि प्रार्थी को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य जनपद में स्थानान्तरित करने की महती कृपा करें।

माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के समयपूर्व स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर उदारतापूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सादर रखने की कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीय

Mukesh yadav 22.08.2024

(मुकेश यादव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

महराजगंज

आई०डी० सं०- UP 2113

दिनांक 22.08.2024